मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक .... सन् 2016

मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिंयासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 है

मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001

(क्रमांक 20 सन् 2001) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 20सन् 2001 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन

2. मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) की धारा 3 पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाए अर्थात :–

''परन्तु ऐसे प्रकरणों में तथा ऐसी रीति से, जैसा राज्य शासन द्वारा विहित किया जाये, नगरीय क्षेत्र में निवासरत कोई भी व्यक्ति स्व–प्रमाणपत्र प्रदाय करके अपने स्वामित्व की भूमि पर स्थापित वृक्ष (वृक्षों) को कटवा सकेगा।''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपसचिव

Madhya Pradesh Bill
MADHYA PRADESH BILL
No………Year 2016

Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Vidheyak, 2016

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vrikshon ka Parirakshan (Nagariya Kshetra) Adhiniyam, 2001 (No. 20 of 2001).

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016

Amendment to the Madhya Pradesh Vrikshon ka Parirakshan (Nagariya Kshetra) Adhiniyam, 2001 (No. 20 of 2001)

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH VRIKSHON KA PARIRAKSHAN (NAGARIYA KSHETRA) ADHINIYAM, 2001 (NO. 20 OF 2001)

Amendment of Section 3

2. In section 3 of the Madhya Pradesh Vrikshon ka Parirakshan (Nagariya Kshetra) Adhiniyam, 2001 (No. 20 of 2001) in place of full stop the coma shall be substitute and after that following proviso shall be inserted means :-

   "Provided that in such cases and by such means as prescribed by the State Government, any person residing in urban area, may fell a tree (s) situated in his own land by submitting self certification"

By Order and in the name of the Governor of M.P.
Dy. Secy

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक ....

अधि. क्र. .... मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 (क्रमांक–20 सन् 2001) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) नियम 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किये जाये, अर्थातः–

''(3) उपनियम (1) में दिये गये आवेदन के अतिरिक्त किसी वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने, हटाने, जड़ से उखाड़ने या तने को जड़ से पृथक् करने या किन्ही भी साधनों से उसके व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति प्ररूप – 3 में नगरीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले वृक्ष अधिकारी को निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वप्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेगा :–

(क) स्वप्रमाण पत्र अधिकतम 500 वर्गमीटर भू–खण्ड के लिये मात्र एक बार वृक्ष काटने हेतु मान्य होगा।

(ख) उक्त स्वप्रमाण पत्र अधिकतम दो वृक्षों के लिये मान्य होगा।

(ग) काटे गये वृक्षों का ब्यौरा स्वप्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) काटे गये वृक्षों के स्थान पर आवेदक द्वारा उसी स्थल पर या परिसर पर, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जातियों के काटे गये वृक्षों से चार गुना वृक्षों को लगाया जायेगा अथवा वृक्ष अधिकारी द्वारा, निर्धारित राशि को जमा कराया जायेगा।

उपरोक्त स्वप्रमाण पत्र की प्राप्ति अभीस्वीकृति को इन नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञा के रूप में मान्य किया जायेगा। स्वप्रमाण पत्र में मिथ्या अभिवचन की स्थिति में अधिनियम की धारा 18 तथा नियम 6 के अनुसार वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदक पर शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

2. नियम 3 के उपनियम (3) के लिये निम्नलिखित प्ररूप – 3 को नियमों में सम्मिलित किया जाता है :–

प्ररूप–तीन

(नियम 3 (3))

वृक्षों को काटकर गिराने का स्वप्रमाण पत्र का प्ररूप

(स्वप्रमाण पत्र दो प्रतियों में स्वयं प्रस्तुत करें)

रजिस्ट्रीकृत

प्रति,

वृक्ष अधिकारी
नगरीय क्षेत्र..
जिला..
मध्यप्रदेश ।

विषयः– ....नगरीय क्षेत्र में वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने हेतु स्वप्रमाण पत्र।

महोदय,

मैं...(आवेदक का नाम) आयु....................................वर्ष........................ ....निवासी..(पता)...मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) नियम 2002 के नियम 3 (3) के उपबंधों के अधीन ऊपर वर्णित स्थल पर वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने का एतद्द्वारा, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हूं, ब्यौरे निम्नानुसार है :–

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. आवेदक का पता : ....
4. टेलीफोन : ....
5. ई–मेल यदि हो : ....
6. भूखण्ड पर अवस्थित कुल वृक्षों का विवरण :–

वृक्ष का अनुक्रमांक	प्रजाति	भूतल से 1.37 मीटर पर गोलाई	वृक्षों की दशा (क्या वृक्ष मृत, मरणासन्न, रोगग्रस्त, मृतप्राय, टूटे हुए, बिजली से प्रभावित, हवा से उखड़े हुए, जड़ से उखड़े हुए, अवस्थ, अर्द्ध स्वस्थ, स्वस्थ आदि हैं)

7. उस वृक्ष (वृक्षों) (अधिकतम दो) के भूखंड की अवस्थिति, जिनको काटकर गिराया जाना है।

मकान/प्लाट/क्रमांक ....
मार्ग...
कालोनी..
खसरा कमांक. ....
पटवारी हल्का कमांक ....
जोन कमांक ....
नगरपालिका, वार्ड कमांक ....
जिला ....

8. वृक्ष (वृक्षों) का ब्यौरा जिनको काटकर गिराया जाना है। (अधिकतम दो) :–

वृक्ष का अनुक्रमांक	प्रजाति	भूतल से 1.37 मीटर पर गोलाई	वृक्षों की दशा (क्या वृक्ष मृत, मरणासन्न, रोगग्रस्त, मृतप्राय, टूटे हुए, बिजली से प्रभावित, हवा से उखड़े हुए, जड़ से उखड़े हुए, अवस्थ, अर्द्ध स्वस्थ, स्वस्थ आदि है)

9. उन कारणों का ब्यारेवार कथित करें, जिनसे आवेदक वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराया जाना है : ....

10. क्षति पूरक वृक्षारोपण का ब्यौरा :–

(क) स्थल की अवस्थिति (मकान/प्लाट क्रमां, मार्ग, कालोनी राजस्व निरीक्षक वृत्त (सर्किल) क.............. पटवारी हल्का क........... तहसील, जिला एवं वार्ड क...........) : ....

(ख) रोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्र

(ग) भूमि का नक्शा संलग्न करें : ....

(घ) रोपण किये गये वृक्षों के प्रकार तथा उनकी स्थिति : ....

(ड) वृक्षारोपण का फोटोग्राफ : ....

11. वृक्षारोपण न किये जाने की स्थिति में वृक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान का ब्यौरा (रसीद, डिमांड ड्राफ्ट, चालान आदि संलग्न करें)
: क्रमांक/दिनांक..
: बैंक/कोषालय...
: राशि रु. ....

वचनबंध

मैं, ...पुत्र/पत्नी... आयु..............................वर्ष, स्थाई निवासी.. एतद् द्वारा शपथ लेता हूं कि इस स्वप्रमाण पत्र में दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा उसमें किसी भी बात को छिपाया नहीं गया है और न ही विकृत कर प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह और पुष्टि करता हूं कि मेरे द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है तथा उसका अनुरक्षण करूंगा।

अथवा

मैं यह पुष्टि करता हूं कि वृक्ष अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार रुपये................................ का अभिदाय क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु किया गया हैं।

हस्ताक्षर...

आवेदक का नाम..

पता ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(   )
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक ....

अधि. क्र. ..... एफ .... –अठारह–3– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. ..... एफ .... –अठारह–3– दिनांक ...... 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एकदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
.... उपसचिव,

Bhopal, the ------------------------

No. ....- In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Madhya Pradesh Vrikshon ka Parirakshan (Nagariya Kshetra) Adhiniyam, 2001 (No. 20 of 2001) the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Vrikshon ka Parirakshan (Nagariya Kshetra) Rules, 2002, namely :-

AMENDMENT

1. In the said rules, in rule 3, after sub rule (2) the following new sub rule shall be inserted, namely:-

"(3) Apart from the application in sub rule (1), any person desiring to fell, remove, uproot or sever stem from the root system, or dispose of by any means a tree (s) shall submit a self certificate in Form-III to the Tree Officer having jurisdiction on concerning urban area subject to the following conditions :-

(a) Self certificate shall be valid to cut tree (s) only for one time for a plot of maximum 500 Sq. meters;

(b) Such self certificate shall be valid for maximum two trees;

(c) The details of the felled trees shall be submitted along with the self certificate;

(d) In place of felled trees, the applicant shall plant four times of the number of felled trees of the same or other suitable species on the same site or premises, or shall deposit the amount prescribed by the tree officer;

The acknowledgement receipt of above stated self certificate shall be considered permission for tree cutting under these rules. In case of false statement in self certificate, a penalty shall be levied on the applicant by the tree officer under section 18 of the Act and Section 6 of the rules.

2. For sub rule (3) of rule 3 the Form-III shall be inserted in the rules."

FORM -III
[Rule 3 (3)]
SELF CERTIFICATE FOR FELLING TREE (S)
(Submit self certificate by hand in 2 copies)

Registered

To,

The Tree Officer,
Urban Area..
District..
M.P.

Sub:- Self Certificate for felling tree (s) in the urban area of..............................

Dear Sir,

I, ... (name of applicant), aged............................year, resident of .... (Address), do here by submit self certificate under provisions of the Rule 3 (3) of the M.P. Vrikshon ka Parirakshan (Nagriya Kshetra) Rules, 2002 to fell tree (s) at aforementioned site. The details are as follows :-

1. Name of the Applicant :..
2. Father's / Husband's Name :..
3. Address of Applicant :..
4. Telephone :..
5. E-mail, if any :..
6. Details of the total tree (s) situated on the plot :-

S. No. of Trees	Species	girth at 1.37 Meters from ground	State condition of tree (s) (Whether dead, dying, diseased, moribund, broken, lightening affected, wind fallen, uprooted, unsound, half sound, sound etc.)

7. Details of the plot on which the tree (s) which fells are located.

House/Plot No. :..
Road..
Colony:..
Khasra No. :...
Patwari Halka No. :...
Zone No. ....
Municipal Ward No. :.......................................
District :...

8. Details of trees (s) (Maximum two) which is going to be fell :-

S. No. of Trees	Species	girth at 1.37 Meters from ground	State condition of tree (s) (Whether dead, dying, diseased, moribund, broken, lightening affected, wind fallen, uprooted, unsound, half sound, sound etc.)

9. State reasons in detail why the tree (s) has been felled by the applicant. :...

10. Detail of land for compensatory plantation; :...

(a) Location of the site

(House/Plot No. Street, Colony, R.I. Circle No.; Patwari Halka No., Tehsil, District & Ward No.) :...

(b) Area available for planting

(c) Enclose maps of land :...

(d) Type of planted trees and their condition :...

(e) The Photograph of planted trees. :...

11. Detail of payment of fee as prescribed by tree officer in case of non plantation (enclosed receipt D.D., Challan, etc)

No. ....

Bank/Treasury :..

Amount Rs. :...

UNDERTAKING

I,...S/o/W/o.....................................Aged................. ....year, permanent resident of .... do hereby swear that the particulars provided in this self certificate are true to the best of my knowledge & belief and nothing material has been suppressed or distorted therein.

I, further confirm that I have planted the trees and maintain the compensatory plantation.

or

I, further confirm that I have deposited Rs...................................... for compensatory plantation as directed by the Tree Officer.

Signature...

Name of Applicant ....

Address...
....

By order and In the name of the Governor
of Madhya Pradesh

( )
Deputy Secretary
Madhya Pradesh Urban Development
and Environment